न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-37/2026, सी0आई0एस0 –37/2026
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-000872-2026

FORM A

IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, SHEIKHPURA

DISTRICT- SHEIKHPURA,(BIHAR)

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला–शेखपुरा,(बिहार)

पीठासीन न्यायाधीश – संतोष कुमार तिवारी

निर्णय की तिथि– 09–04–2026

सत्र प्रकरण कमांक-37/2026, सी0आई0एस0 –37/2026

सी0एन0आर कमांक–BRSP01-000872-2026

(थाना हथियावाँ के अपराध कमांक 35/25 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शेखपुरा द्वारा पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांक 30.01.2026 से उत्पन्न मामला)

अभियोजक	बिहार राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री उदय नारायण सिन्हा, लोक अभियोजक, शेखपुरा।
अभियुक्तगण का नाम	1. गुड्डु सिंह, वल्द–विजय सिंह, उम्र–45 वर्ष 2. विजय सिंह, वल्द– यदुनन्दन सिंह, उम्र–65 दोनों सा0–गवय, थाना–हथियावॉ, जिला–शेखपुरा।
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता	श्री मनोज ठाकुर और श्री शिवनंदन कुमार।

FORM B

घटना की तिथि	28.06.2025
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	28.06.2025
आरोप पत्र की तिथि	19.08.2025
आरोप गठन की तिथि	13.02.2026
साक्ष्य आरंभ की तिथि	11.03.2026
निर्णय निर्धारण की तिथि	04.04.2026
निर्णय की तिथि	09.04.2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	——————

अभियुक्तगण का विवरणः–

कम सं0	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्ति की तिथि	आरोपित धाराएँ	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रकिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	विजय सिंह	07.08.2026	06.08.2026	धारा–126(2) / 3(5), 115(2) / 3(5), 109(1) / 3(5), 303(2) / 3(5), 352 / 3(5), 351(2) / 3(5) भा0 न्या0 सं0	**दोषमुक्त**	————	————
2.	गुड्डु सिंह	07.08.2026	06.08.2026	धारा–126(2) / 3(5), 115(2) / 3(5), 109(1) / 3(5), 303(2) / 3(5), 352 / 3(5), 351(2) / 3(5) भा0 न्या0 सं0	**दोषमुक्त**	————	————

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-37/2026, सी0आई0एस0 –37/2026
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-000872-2026

निर्णय

(1).अभियुक्तगण विजय सिंह और गुड्डु सिंह का धारा–126(2)/3(5),115(2)/3(5),109(1)/3(5),303(2)/3(5),352/3(5),351(2)/3(5) भा0 न्या0 सं0 के तहत अपराध के आरोप के लिए विचारण किया गया।

(2). अभियोजन का कथानक संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.06.2025 को सूचक सौरव कुमार द्वारा थाना शेखपुरा में यह लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी कि दिनांक 28.06.2025 को सुबह करीब 07:00 सूचक अपने दरवाजे पर बैठा था, उसी समय सूचक के चाचा विजय सिंह और उसका पुत्र गुड्डू सिंह आए और दोनों मिलकर सूचक को गाली–गलौज कर मारपीट करने लगे। गाली–गलौज, मारपीट करने से मना करने पर विजय सिंह अपने हाथ में लिए लोहे के रड से सूचक के सिर पर प्रहार किया, जिससे सूचक बुरी तरह जख्मी हो गया तथा गुड्डू सिंह सूचक के गले से सोने के बजरंगबली का लौकेट निकाल लिया। हल्ला सुनकर सूचक के पिता और सूचक के भाई बचाने आए तो उन दोनों को भी विजय सिंह लोहे के रड से मारा और गुड्डू सिंह अपने हाथ में लिए डंडा से मृत्युंजय सिंह को मारा, जिससे मृत्युजय सिंह वहीं जमीन पर गिर गया। ग्रामीणों के सहयोग से सभी जख्मियों के ईलाज के लिए सदर अस्पताल शेखपुरा में भर्ती कराया गया।

सूचक की उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण विजय सिंह और गुड्डु सिंह के विरूद्ध थाना शेखपुरा अपराध कमांक 35/2025 धारा–126(2), 115(2), 329(3), 109, 303(2), 351(3) 3(5) भा0 न्या0 सं0 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

अन्वेषण के दौरान घटना स्थल निरीक्षण किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए और अन्वेषणोपरांत अन्वेषण अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 126(2), 115(2),109(1), 351(2), 352 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेखपुरा जिला– शेखपुरा न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.08.2025 को आरोप पत्र कमांक 62/2025 प्रस्तुत किया गया।

(3). उक्त आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 26.09.2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शेखपुरा द्वारा अपराध का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण विजय सिंह और गुड्डु सिंह के विरूद्ध धारा– 126(2), 115(2), 329(3), 109, 303(3) 351(3) 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध के विचारण हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गयी और मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से दिनांक 30.01.2026 को पारित आदेश द्वारा मामलें को सत्र न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया गया।

(4). अभियुक्तगण विजय सिंह और गुड्डु सिंह के विरूद्ध दिनांक 13.02.2026 को धारा–

126(2)/3(5),115(2)/3(5),109(1)/3(5),303(2)/3(5),352/3(5),351(2)/3(5) भा0 न्या0 स0 के अंतर्गत आरोप गठित कर उन्हें हिन्दी में पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण द्वारा सभी आरोपों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

(5). अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 25.03.2026 को इस सत्र विचारण के अभियुक्तगण विजय सिंह और गुड्डु सिंह का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण कर उनके कथन लेखबद्ध किया गया।

(6). इस प्रकार इस सत्र विचारण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण विजय सिंह और गुड्डु सिंह के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

विनिश्चय Finding

(7). इस सत्र विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल छः अभियोजन साक्षियों, अभियोजन साक्षी संख्या–01 सौरव कुमार, अभियोजन साक्षी सं0–02 डॉ0 सौरभ कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–03 सुनीता देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–04, चिंकु देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–05, शिवपूजन सिंह और अभियोजन साक्षी संख्या–06, नंद कुमार सिंह का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया है, और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु थाना में प्रस्तुत लिखित शिकायत पर सूचक सौरव कुमार के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1, सौरव कुमार के जख्म प्रतिवेदन पर डॉ सौरभ कुमार के हस्ताक्षर को प्रदर्श–2, नंद कुमार सिह के जख्म प्रतिवेदन पर डॉ सौरभ कुमार के हस्ताक्षर को प्रदर्श–3 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कराया गया है।

(8). अभियोजन साक्षी संख्या–1 सौरव कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं इस केस का सूचक हूँ। घटना आज से करीब आठ–नौ माह पूर्व की हैं, छह –सवा छह बजे सुबह का समय था। उस समय मैं अपने घर के दरवाजें पर बैठा था, तो विजय सिंह, गुड्डु सिंह आये और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे, मैंने मना किया तो मेरे साथ रड से मारपीट किये। मेरा सिर फट गया और मेरा इलाज सदर अस्पताल में हुआ। इस घटना के संबंध में मैंने थाना हथियावां में लिखित आवेदन दिया, आवेदन मेरे पिताजी नंद कुमार सिंह मेरे कहे अनुसार लिखे जिसे मैंने सही पाकर अपना हस्ताक्षर किया, इसे प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है। घटना पैसे को लेन देन को लेकर हुआ था। मैं उक्त दोनों अभियुक्तों को पहचानता हूँ, उक्त दोनों अभियुक्तगण आज न्यायालय में उपस्थित है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्तों के साथ राजी–खुशी एवं स्वेच्छा से मेरा सुलह समझौता व मेल मिलाप हो गया है। मैं गिर गया था जिसकी वजह से मुझे जख्म हुआ था। अभियुक्तों ने भी इसी घटना को लेकर मेरे विरूद्ध केस दर्ज कराया था, जिसका केस सेशन नंबर 34/2026 इसी न्यायालय में लंबित

है। उस मामले में अभियुक्तों से मेरा सुलह समझौता हो गया है। सुलह समझौता हो जाने के कारण मैं इस मामले को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ, इस मामले की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय, तो मुझे आपत्ति नहीं है।

(9). अभियोजन साक्षी संख्या–02, डॉ0 सौरभ कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि I am posted as M.O in Sadar Hospital, Sheikhpura on 28-06-2025, on the same day, I have examined the injured namely Saurabh Kumar, S/o- Nand Kumar, aged 37 years Male, Vill- Gabbe, Dist- Sheikhpura on 28-06-2025 at 08:30 A.M and found following findings :

Lacerated wound of 3”x5” deep skin occipital area.
M/I- Old scar mark on right eyebrow.
Age of injury- within 06 hours.
Cause of injury- HBS.
Nature of injury- simple.

The aforesaid injury report is in type written as per my direction and having my signature on it, which I identify, it is marked as Exhibit- 2

On the same day, I have examined the injured namely Nand Kumar Singh, S/o Yadunandan Singh, aged 60 yrs, Male, Vill- Gabbe , Distt- Sheikhpura on 28-06-2025 at 08:35 A.M and found the following injuries.

Abrasion 2” x2” on left arm.
Abrasion 1” x 1” on forehead.
M.I- Small skin discolouration on Left cheek.
Age of injury- Within 6 hours.
Mode of injury- H.B.S.
Nature of injury- Simple.

The aforesaid injury report is in type written as per my direction and having my signature on it, which I identify, it is marked as Exhibit- 3

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि सौरभ कुमार का जख्म सं0 1 गिरने से भी हो सकता है। नंद कुमार सिंह का जख्म सं0 1 और 2 गिरने से भी संभव है।

(10). अभियोजन साक्षी संख्या–03, सुनीता देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना के बारें में मैं कुछ नहीं जानती। सौरभ कुमार मेरे भाई है। विजय सिंह मेरे चाचा है। आज विजय सिंह न्यायालय में उपस्थित है। मैं अपने भाई सौरभ के कहने पर आज गवाही देने आयी हूँ। पुलिस ने मुझसे इस घटना के संबंध में पूछताछ की थी। मैंने पुलिस को भी बताया था कि मैं घटना के बारें में नहीं जानती। मैं घटना के समय मायके में थी।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामलो का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति से उससे सूचक प्रश्न पूछे गए है, जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि मैने पुलिस को यह बयान दिया था कि दिनांक 28.06.2025 को मैं

अपने मायके में थी। उसी समय विजय सिंह, गुड्डु सिंह मेरे भाई सौरभ को जान मारने की नियत से रड से मारा जिससे सौरभ का सर फट गया, जब नंद कुमार सिंह उन्हें बचाने गये तो उनको भी मारा जिससे वे जख्मी हो गये। ऐसी बात नहीं है कि मैं घटना को छिपा रही हूँ, और गलत तथ्य प्रस्तुत कर रही हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि मैंने स्वेच्छा से अपना साक्ष्य दिया है। आज मेरे चाचा विजय सिंह उपस्थित है, मैं उन्हें पहचानती हूँ।

(11). अभियोजन साक्षी संख्या–04, चिंकू देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना के बारें में मैं कुछ नहीं जानती। पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं किया था। विजय सिंह और गुड्डु सिंह को पहचानती हूँ, विजय सिंह मेरे ससुर है और गुड्डु सिंह मेरे भैसूर है। मैं विजय सिंह और गुड्डु सिंह के साथ आज गवाही देने आयी हूँ।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामलो का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति से उससे सूचक प्रश्न पूछे गए है, जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि मैंने पुलिस को यह बयान दिया था कि विजय सिंह, गुड्डु सिंह आम की टहनी काटने को लेकर कहने को गये थे तो विजय सिंह मना कर दिये इतने में विजय सिंह और गुड्डु सिंह घर के पास आकर गाली गलौज करने लगे इस पर सौरभ सिंह गाली देने से मना किया तब विजय सिंह और गुड्डु सिंह अपने हाथ में लिये लोहे के रड से सौरभ के सिर पर मार दिया जिससे सौरभ सिंह जख्मी हो गये। जब नंद कुमार सिंह बचाने आये तो उसे भी मार दिये जिससे नंदकुमार सिंह जख्मी हो गये दोनों का इलाज सदर अस्पताल शेखपुरा में हुआ। ऐसी बात नहीं है कि मैं अभियुक्तों के मेल में आकर घटना को छिपा रही हूँ, और गलत तथ्य प्रस्तुत कर रही हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि आज मेरे ससुर विजय सिंह उपस्थित है, उन्हें पहचानती हूँ।

(12). अभियोजन साक्षी संख्या–05, शिवपूजन सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं इस केस की घटना के संबंध में कुछ नहीं जानता। पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था। विजय सिंह और गुड्डु सिंह को पहचानता हूँ, मैं विजय सिंह का बाबा लगता हूँ।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामलो का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति से उससे सूचक प्रश्न पूछे गए है, जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि पुलिस ने मेरा बयान लिया था जिसमें पुलिस को कहा था कि दिनांक 28.06.2025 को सुबह सात बजे सौरव कुमार, घर के दरवाजे पर बैठा था, तो विजय सिंह, गुड्डु सिंह उसके साथ गाली गलौज किया जब गाली देने से मना किया तो उसके साथ मारपीट किया गया, जिससे सौरव कुमार और नंद कुमार सिंह जख्मी हो गयी। ऐसी बात नहीं है कि मैं अभियुक्तों के मेंल में आकर सत्य को छिपा रहा हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि मैंने स्वेच्छा से अपना साक्ष्य दिया है।

(13). अभियोजन साक्षी संख्या–06 नंद कुमार सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं इस केस की घटना के संबंध में जानता हूँ, घटना सात आठ माह पूर्व सुबह की है, उस समय मैं घर पर था, विजय कुमार सिंह और गुड्डु सिंह जो मेरे भाई और भतीजे है, के साथ संपति विवाद को लेकर मेरे साथ गाली गलौज व मारपीट किये, जिसमें मैं और मेरा बेटा सौरव कुमार को चोटों आयी थीं जिसका इलाज सदर अस्पताल में हुआ था। विजय सिंह और गुड्डु सिंह को पहचानता हूँ.। आम के पेड़ को लेकर विवाद हुआ था।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि मैंने स्वेच्छा से अपना साक्ष्य दिया है। मुझे गिरने से चोटें आयी थी, किसी ने मारपीट नहीं किया था। अभियुक्तगण मेरे भाई भतीजा है मैं उसे पहचानता हूँ।

(14). उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में यह तथ्य विचारणीय है कि सभी अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे साबित हुए है या नहीं।

(15). विद्वान लोक अभियोजन द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क/बहस के दौरान यह निवेदन किया गया कि इस मामले में अभियेजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में से अभियोजन साक्षी संख्या–01 सौरव कुमार और अभियोजन साक्षी संख्या–02 नंद कुमार सिंह द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन किया गया है, जिसका सम्पोषण मामले के चिकित्सा अधिकारी अभियोजन साक्षी संख्या–02 डॉ0 सौरभ कुमार के साक्ष्य से हो रहा है।

उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

उपरोक्त आधारों पर अभियोजन पक्ष द्वारा विचाराधीन सभी अभियुक्तों को सभी आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया है।

(16). बचाव पक्ष/अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता द्वारा तर्क/बहस के दौरान यह निवेदन किया गया है कि इस मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में से अभियोजन साक्षी संख्या–03 सुनीता देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–04 चिंकु देवी और अभियोजन साक्षी संख्या–05 शिवपूजन सिंह द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियेाजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। आहत साक्षियों द्वारा भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध किसी भी अपराध को साबित करने हेतु किसी प्रकार का साक्ष्य अभिलेख पर लाने में असफल रहा है।

उपरोक्त आधार पर अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तों को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त करने का निवेदन किया गया।

(17). उभयपक्ष की तरफ से किए गए उपरोक्त तर्क/बहस के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-37/2026, सी0आई0एस0 –37/2026
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-000872-2026

साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है।

(18). अभियोजन की ओर से इस मामले में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अपराधों को प्रमाणित करने हेतु कुल छः साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जिसमें से अभियोजन साक्षी संख्या–01, इस मामले का सूचक एवं आहत साक्षी सौरव कुमार है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 आहतों के चोटो का जॉच करने वाले डॉ सौरभ कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–3 सुनीता देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–04 चिंकू देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–05 शिवपूजन सिंह एवं अभियोजन साक्षी संख्या–06 दूसरे आहत साक्षी नंद कुमार सिंह है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या–02 डॉ0 सौरभ कुमार द्वारा मुख्य परीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि दिनांक 28.06.2025 को यह साक्षी सदर अस्पताल शेखपुरा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उक्त तिथि को दिन के 08:30 बजे इस साक्षी द्वारा आहत सौरव कुमार एवं 08:35 बजे जख्मी नंद कुमार सिंह का शारीरिक परीक्षण किया गया, जिसमें इस साक्षी द्वारा आहत सौरव कुमार के सिर पर चमडे की गहराई 3”x5” इंच का कटा–फटा हुआ चोट पाया था। उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कंडे एवं भोथरे पदार्थ से आई हुई प्रतित हो रही थी। अन्य आहत नंद कुमार सिंह के बांए हाथ पर 2” x2” इंच एवं ललाट पर 1” x 1” इंच का नोच खरोच का निशान पाया था। उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी जो कंडे एवं भोथरे पदार्थ से आई हुई प्रतित हो रही थी।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि उक्त चोट गिरने से संभव है।

इस प्रकार इस साक्षी के न्यायालयीन परीक्षण से यह तथ्य प्रमाणित हो रहा है कि इस मामले के घटना दिनांक 28.06.2025 को घटना के बाद दोनों आहतों सौरव कुमार एवं नंद कुमार सिंह का शारीरिक परीक्षण करने पर उनके शरीर पर इस साक्षी द्वारा उपरोक्त चोटे पाई गई थी जो कंडे एवं भोथरे पदार्थ से आई हुई प्रतित हो रही थी। उक्त चोटे साधारण प्रकृति की थी, जो परीक्षण से छः घंटे के अंदर की थी।

ऐसी दशा में आगे साक्ष्य विश्लेषण द्वारा यह तथ्य विचारणीय है कि क्या दोनों आहतों की आई चोटे इस मामले के विचाराधीन अभियुक्तों द्वारा की गई थी। इस तथ्य पर विचार हेतु अभियोजन साक्षी संख्या–01 सौरव कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–03 सुनीता देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–04 चिंकू देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–05 शिवपूजन सिंह एवं अभियोजन साक्षी संख्या–06 नंद कुमार सिंह का साक्ष्य विचारणीय है।

(19). अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में से अभियोजन साक्षी संख्या–03 सुनीता देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–04 चिंकू देवी एवं अभियोजन साक्षी संख्या–05 शिवपूजन सिंह द्वारा इस मामले के दोनों अभियुक्तों को पहचान करते हुए मुख्य परीक्षण यह तथ्य प्रकट किया गया है कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस घटना के संबंध में अन्वेषण अधिकारी

द्वारा उनसे किसी भी प्रकार का पूछताछ कर कोई बयान नहीं लिया गया था।

इन तीनों साक्षियों द्वारा अभियोजन प्रकारण का समर्थन नहीं किए जाने की दशा में लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन मामले के तथ्यों के समर्थन में अनेकानेक प्रश्न पूछे गए है और सुझाव दिए गए है, किन्तु इन तीनों साक्षियों द्वारा अभियोजन की ओर से सुझाए गए हर तथ्यात्मक सुझाव को अस्वीकार करते हुए यह तथ्य प्रकट किया गया है कि उनके द्वारा पुलिस के समक्ष कोई बयान नहीं दिया गया था और इस घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित इन तीन साक्षियों के न्यायालयीन साक्ष्य से अभियोजन मामले को प्रमाणित करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हुआ है।

अभियोजन साक्षी संख्या–01 सौरव कुमार जो इस मामले के सूचक एवं आहत साक्षी है, उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि घटना आठ–नौ माह पूर्व 06:00 बजे सुबह की है। उस समय यह साक्षी अपने दरवाजे पर बैठा था। उसी समय विजय सिंह और गुड्डु सिंह वहॉ पर आए और गाली–गलौज करने लगे। गाली–गलौज करने से मना करने पर उसके साथ रड से मारपीट करने लगे, जिससे इस साक्षी का सिर फट गया, जिसका ईलाज सदर अस्पताल शेखपुरा में हुआ। घटना के बाद इस साक्षी द्वारा थाना हथियावां में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी, जो प्रदर्श–1 है। घटना पैसे के लेन–देन के कारण हुई थी।

परन्तु प्रतिपरीक्षण में कंडिका–5 में इस साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से यह तथ्य प्रकट किया गया है कि वह गिर गया था और गिरने के कारण उसे चोटे आई थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तों के साथ उसका राजी–खुशी और स्वेच्छा से उसका मेल–मिलाप हो गया है, जिसके कारण वह इस मामले को आगे नहीं चलाना चाहता है और मामले के कार्यवाही समाप्त की जाए इसमें उसे कोई अपत्ति नहीं है।

इसी प्रकार अभियोजन के कथानक के अनुसार इस मामले के एक अन्य आहत साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–06 नंद कुमार सिंह द्वारा मुख्य परीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि घटना 6–7 माह पूर्व सुबह की है। उस समय यह साक्षी घर पर था। अभियुक्त विजय कुमार और गुड्डु सिंह के साथ संपति विवाद था, इसलिए उसके साथ गाली–गलौज एवं मारपीट किये था, जिसमें यह साक्षी और उसके पुत्र घायल हुए थे, जिनका ईलाज सदर अस्पताल शेखपुरा में हुआ था।

परन्तु प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह तथ्य स्पष्ट किया गया है कि किसी ने उसके साथ मारपीट नहीं किया था, गिरने के कारण उसे चोटे आई थी।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित दोनों आहत साक्षी अभियोजन साक्षी

संख्या–01 सौरव कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या–06 नंद कुमार सिंह द्वारा यद्यपि की मुख्य परीक्षण में इस घटना का समर्थन करते हुए अभियुक्तों द्वारा उनके साथ मारपीट किए जाने और मारपीट में उन्हें चोटे आने का तथ्य प्रकट किया है।

किन्तु प्रतिपरीक्षण में इन दोनों साक्षियों द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया था कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुआ था। गिर जाने के कारण उन्हें चोटे आई थी। गिर जाने के कारण चोट आने का तथ्य अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या–02 डॉ0 सौरव कुमार के साक्ष्य से समर्पित है। इस साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि गिरने के कारण इन दोनों आहतों के शरीर पर पाई गई चोटे आ सकती है और दोनों आहतों के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि गिरने के कारण उन्हें चोटे आई थी।

अभिलेख पर उपलब्ध इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रकट हो रहा है कि अभियुक्तगण एवं साक्षीगण दोनों रिस्तेदार हैं। दोनों के बीच संपति को लेकर विवाद चल रहा था।

ऐसी दशा में पूर्व रंजिश का तथ्य एवं प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य प्रकट होने से कि गिरने के कारण उन्हें चोटे आई थी उनके साथ किसी ने मारपीट नहीं किया था। दोनों आहत साक्षियों द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियुक्तों द्वारा उनके साथ मारपीट किए जाने के संबंध में प्रकट किया गया तथ्य संदिग्ध एवं अविश्वसनीय हो गया है।

मामले को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य किसी भी साक्षी को विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं कराया गया है।

ऐसी दशा में अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त दोनों साक्षियों के संदिग्ध एवं अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर अभियोजन मामले के समपर्थ में किसी भी प्रकार का सकारात्मक निष्कर्ष निकाला जाना उचित नहीं होगा।

(20). आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। इसी प्रकार आपराधिक विधि का यह भी सिद्धांत है कि युक्तियुक्त संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

आपराधिक विधि के उपरोक्त सुस्थापित सिद्धांत के प्रकाश में इस सत्र प्रकरण के अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री के उपरोक्त समीक्षा के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहॅची है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण विजय सिंह और गुड्डु सिंह के विरूद्ध धारा–126(2)/3(5),115(2)/3(5),109(1)/3(5),303(2)/3(5),352/3(5),351(2)/ 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपित अपराधों में से किसी भी अपराध को उचित संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है।

परिणामस्वरूप अभियुक्तगण विजय सिंह और गुड्डु सिंह को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध धारा–126(2)/3(5),115(2)/3(5),109(1)/ 3(5),303(2)/3(5),352/3(5),351(2)/3(5)

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-37/2026, सी0आई0एस0 –37/2026
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-000872-2026

भा0 न्या0 सं0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

दोनों दोषमुक्त विजय सिंह और गुड्डु सिंह पूर्व से जमानत पर मुक्त है। दोषमुक्ति के परिणाम स्वरूप उनके जमानत बंध पत्र विखंडित किये जाते हैं और उन्हें तथा उनके जमानतदारों का जमानत बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(संतोष कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 09.04.2026

(संतोष कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 09.04.2026

FORM-C

<u>अभियोजन/बचाव / न्यायालय साक्षियों की सूची</u>

ए.अभियोजन

कम सं0	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभि0 सा0 सं0 1	सौरव कुमार	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/जख्मी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 2	डॉ0 सौरभ कुमार	विशेषज्ञ साक्षी/ चिकित्सक साक्षी
अभि0 सा0 सं0 3	सुनीता देवी	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 4	चिंकु देवी	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 5	शिवपूजन सिंह	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 6	नंद कुमार सिंह	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/सूचक/जख्मी साक्षी

बी.बचाव साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

सी.न्यायालय साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-37/2026, सी0आई0एस0 –37/2026
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-000872-2026

अभियोजन/बचाव / न्यायालय प्रदर्शों की सूची

ए.अभियोजन

कम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P1/P.W1	प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु थाना में प्रस्तुत लिखित शिकायत पर सूचक सौरव कुमार का हस्ताक्षर
2.	P2/P.W2	सौरव कुमार के जख्म प्रतिवेदन पर डॉ सौरभ कुमार का हस्ताक्षर
3.	P3/P.W2	नंद कुमार सिह के जख्म प्रतिवेदन पर डॉ सौरभ कुमार का हस्ताक्षर

बी. बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	—	—

सी. न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

डी. वस्तु प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

लेखापित

संतोष कुमार तिवारी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेखपुरा
दिनांक–09.04.2026

Date of Judgment/order	09.04.2026
Date of Reserving Judgment/order	04.04.2026
Uploading Date	21.04.2026
Uploaded by	Sangeeta Kumari